

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :- 1698, 1699 व 1700 / 2012 / जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त-सप्तम, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स फेड्रल मुगल टीपीआर(इण्डिया) प्रा.लि.,
15, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वैभव कासलीवाल,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.सी.शाह,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30.01.2014

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-सप्तम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह तीन अपीलें उपायुक्त, (अपील्स-प्रथम), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 25.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जो क्रमशः अपील संख्या 157, 158, व 159/आर.वैट/ए/2011-12 के संबंध में है तथा जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25/26, 55 व 61 के तहत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2009-10, 2008-09 व 2007-08 के लिये पारित पृथक-पृथक निर्धारण आदेश दिनांक 30.06.2010 के जरिये तालिकानुसार कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

तालिका

(मांग राशि ₹ में)

अपील क्रमांक	निर्धारण वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज	कुल योग
1698/2012	2009-10	3,36,715	6,73,430	10,101	10,20,246
1699/2011	2008-09	5,34,735	10,69,470	1,12,294	17,16,499
1700/2012	2007-08	6,56,965	13,13,930	2,16,798	21,87,693

2. चूंकि तीनों अपील प्रकरणों के तथ्यों व विवादित बिन्दुओं में सादृश्य हैं । अतः तीनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही है ।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी

व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण श्री जितेन्द्र शर्मा, प्रबंधक की उपस्थिति में दिनांक 22.12.2009 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण, सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मोटर पार्टस तथा ऑटो पार्टस स्टॉक ट्रांसफर के माध्यम से राजस्थान राज्य में विक्रयार्थ आयातित किये जाते हैं। सशक्त अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि आयातित किये जा रहे मोटर पार्टस व ऑटो पार्टस में "पिस्टन रिंग्स व रिंग्स सेट" भी शामिल हैं जो दोपहिया व तिपहिया तथा चारपहिया वाहनों में प्रयुक्त पिस्टन में लगने वाले सैट हैं। उक्त जांच के संबंध में सर्वेक्षण अधिकारी से आलोच्य अवधियों से संबंधित पत्रावलियां निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित होने पर, निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच कर, यह पाया कि उक्त पिस्टन रिंग्स व रिंग्स सैट का विक्रय राजस्थान राज्य में कर, 4 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया है जबकि उक्त मोटर पार्टस की श्रेणी में आने के कारण 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उक्त वस्तुओं को अतिरिक्त आयुक्त (विधि) वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर द्वारा मैसर्स ए.एन.जी. ऑटो लि., अजमेर द्वारा पारित अभिनिर्धारण आदेश नांक 17.08.2007 के आलोक में, अधिनियम की अनुसूची-V के तहत 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, माना कि ऑटोमोबाईल्स के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली "पिस्टन रिंग्स व रिंग्स सेट" को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषित किया जाकर करापवंचन किया गया है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर, "पिस्टन रिंग्स व रिंग्स सेट" की बिक्री पर गलत निर्वचन के आधार पर, निजी लाभ के दुराशय से करापवंचन किये जाने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को इस संबंध में सुनवायी का अवसर प्रदान कर, अधिनियम की धारा 25/26, 55 व 61 के तहत नोटिसेज जारी किये गये। नोटिसेज की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से श्री जितेन्द्र शर्मा, प्रबंधक ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किये। जिन्हें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर, "पिस्टन सैट व "रिंग सैट" की घोषित विक्रयवर्त पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर व अनुवर्ती ब्याज तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी के हस्तगत प्रकरणों में करापवंचन प्रमाणित होना मानकर, अधिनियम की धारा 61 के तहत देय कर की दोगुना शास्ति आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किये गये। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपीलों को संयुक्त आदेश दिनांक 25.04.2012 के जरिये स्वीकार किया जाकर, कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त कर दिया गया। उक्त पारित अपीलीय आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तीनों अपीलें प्रस्तुत कर, विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश को चुनौती दी गयी है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।
5. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेशों का समर्थन कर, अपीलीय आदेश को अपास्त करने का निवेदन कर, प्रस्तुत तीनों अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।
6. गुणावगुण पर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें "पिस्टन रिग्स व रिग्स सेट" सभी प्रकार के वाहनों यथा दो पहिया, तिपहिया व चौपहिया (कार, जीप, बस, ट्रक, ट्रैक्टर आदि) के पिस्टनों में प्रयुक्त होते हैं, जो कि ऑटो मोबाईल पार्ट्स/मोटर पार्ट्स होने के कारण 12.5/14 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य हैं। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उक्त उत्पादों पर विधिक रूप से कर, अनवुर्ती ब्याज व करापवंचन प्रमाणित होना मानकर, अधिनियम की धारा 61 के तहत देय कर की दोगुना शास्ति आरोपित की गयी है जिन्हें अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है ।
7. अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पादों को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत "ऑयरन व स्टील" की श्रेणी में होना अवधारित किया गया है जबकि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत वर्णित विशेष महत्व की वस्तुओं में "पिस्टन रिग्स व रिग्स सेट" का वर्णन ही नहीं है ।
8. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा पुनः कथन किया गया कि वाणिज्यिक जगत व जनसामान्य की बोलचाल भाषा में "पिस्टन रिग्स व रिग्स सेट" को मोटर पार्ट्स ही जाना जाता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त कॉमन पारलेंस की अनदेखी कर, अविधिक रूप से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुओं को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना मानकर, अपीलीय आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर पुनः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेशों का समर्थन कर, प्रस्तुत तीनों अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।
9. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही प्रकरणों, अपील संख्या 2109, 2110 व 2111/2012/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2013 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि हस्तगत तीनों प्रकरण भी उक्त पारित निर्णय से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण पारित अपीलीय आदेश पूर्णतः विधिसम्मत होने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । विद्वान अभिभाषक द्वारा इस संबंध में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर अपील संख्या 109/2011/जयपुर में पारित निर्णय (2012) 32 टैक्स अपडेट 278 दिनांक

29.02.2012 को भी प्रोद्धरित किया गया।

10. गुणावगुण पर पुनः अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद "रिंग सैट" केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 14 (iv) के परन्तुक (vii) "ऑयरन एण्ड स्टील" के तहत घोषित वस्तु होने के कारण 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य है जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की अनुसूची-V के तहत 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, अंतर कर, अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति की मांग राशियां कायम की गयी हैं जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के ऊपर वर्णित निर्णय (2012) 32 टैक्स अपडेट 278 का अवलम्ब लिया एवम् माननीय पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा समान बिन्दुओं पर मैसर्स फ़ैड्रल मुगल (गोदसेज) इण्डिया लि., (2011) 43 वी.एस.टी. 100 व माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स आई.पी.रिंग्स लिमिटेड बनाम् तमिलनाडु टैक्सेशन स्पेशल ट्रिब्यूनल एण्ड अनॉदर (2007) 5 वी.एस.टी. 476 को भी प्रोद्धरित किया गया।

11. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि क्या प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें "पिस्टन रिंग्स व रिंग्स सैट" केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत घोषित वस्तुयें होने के कारण उक्त वर्णित वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक दर पर करारोपण व राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 286 के तहत किसी प्रकार का कर दायित्व आरोपित करने का अधिकार क्षेत्र है ? इस संबंध में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 का अध्ययन करना समीचीन होगा जो इस प्रकार है:-

केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14.- "Certain goods to be of special importance in inter-State trade or commerce."

(iv) Iron and Steel, that is to say-

(i) to (viii).....

(viii)discs, rings, forgings, and steel castings."

12. इस संबंध में उपर्युक्त केन्द्रीय अधिनियम के उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उपर्युक्त वस्तुयें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत घोषित वस्तुयें हैं जिन पर संविधान के अनुच्छेद 286 के प्रावधानों के प्रकाश में, राज्य सरकारों को किसी प्रकार के कर दायित्व निर्धारित करने अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में माननीय पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा समान बिन्दुओं पर मैसर्स फ़ैड्रल मुगल (गोदसेज) इण्डिया लि., (2011) 43 वी.एस.टी. 100 में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- *There are 16 entries given in the details of the*

goods under head iron and steel. Discs, rings, forgings and steel castings have been specified to be the items under the head iron and steel as declared goods. Whether such items are used by the purchaser as automobile parts or any purpose is not material. The material is as to whether concerned item manufactured is out of iron or not. In the case of piston rings being manufactured by appellant, 90 to 92% iron is used and the other material used are chemicals etc. just 8 to 10%. Even if this item is used as automobile parts by the Automobile industry or as automobiles components, still the fact remains that the item piston rings manufactured by the appellant shall be the item made out of iron and steel and shall be covered in sub clause(VIII) of clause (IV) of section 14 the CST Act especially when the word rings is there in that entry.

13. इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि- *“It is well settled that normal test to be applied for classifying a fiscal entry is a common parlance test and if the entry is covered by specific entry, the residue entry cannot be invoked. Rings are specifically mentioned in Section 14 of CST Act and mere that the same are used as automobiles parts, is not enough to exclude the same from the said entry and invoke residue entry.”*

There is no doubt that a specific entry must prevail over a general entry. This is reflected from rule 3(a) of the General Rules of interpretation.”


14. इसी प्रकार समान बिन्दुओं पर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स आई. पी.रिंग्स लिमिटेड बनाम् तमिलनाडु टैक्सेशन स्पेशल ट्रिब्यूनल एण्ड अनॉदर (2007) 5 वी.एस.टी. 476 में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं- *“The fact that the goods were polished and the buyer used the steel rings supplied by the petitioner as piston rings or oil-engine rings did not in any way alter the basic fact that what was supplied by the petitioner was in fact a steel ring. The State legislature had no authority to prescribe a higher rate of tax on declared goods by changing the description of those goods. Article 286(3) of the Constitution obligates the States to be bound by the declaration made by the Parliament regarding goods which are of special importance in inter state trade or commerce, as also the restrictions and conditions including the ceiling on rates, at which States may levy tax on such declared goods. The product manufactured by the petitioner would come within the meaning of entry 4 of the Second Schedule to the Act, which was identical with section 14(iv)(viii) of the Central Sales Tax Act, 1956.”*


15. अतः माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्तानुसार वर्णित प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में यह पीठ यह निर्धारित करती है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री वस्तुयें में, “पिस्टन रिंग्स व रिंग्स सेट” केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत घोषित वस्तुयें होने के कारण उक्त पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक करारोपण नहीं किया जा सकता तथा राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 286 के तहत किसी प्रकार के कर दायित्व आरोपित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि

हस्तगत तीनों अपील प्रकरण ऊपर वर्णित कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित हैं। फलस्वरूप, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें 4 प्रतिशत की दर से योग्य होना अवधारित करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों के संबंध में पारित संयुक्तादेश दिनांक 25.04.2012 की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

16. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

17. निर्णय सुनाया गया।


30.1.2014
(मदन लाल)
सदस्य


(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
30/01/14